

इसे वेबसाइट www.govt_pressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 9 जनवरी 2013—पौष 19, शक 1934

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2013

क्र. 40-रा.स.-यू.ए.-5-2013.—इस सचिवालय की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 1210 -रास-यू.ए.-5-2011, दिनांक 21 सितम्बर 2011 के अनुक्रम में राजमाता विजयराजे सिंधिया, कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 27 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महामहिम कुलाधिपतिजी अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (सात) एवं (आठ) के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा नामनिर्देशित निम्नांकित व्यक्तियों को राजमाता विजयराजे सिंधिया, कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के बोर्ड में सदस्य मनोनीत करते हैं :—

अधिनियम की धारा 27 (2) (सात) के अंतर्गत :—

श्री राजेन्द्र राजपूत, डालर सीड एवं एग्रीटेक, उज्जैन, बी-17/4, बसंत विहार कालोनी, उज्जैन (म.प्र.)

अधिनियम की धारा 27 (2) (आठ) के अंतर्गत :—

श्री अभिमन्यु सिंह, सेवानिवृत्त संचालक, कृषि अभियांत्रिकी, अयोध्या नगर, भोपाल (म.प्र.).

अधिनियम की धारा 27 (4) के प्रावधान अनुसार पदावधि 3 वर्ष होगी.

कुलाधिपति, राजमाता विजयराजे सिंधिया, कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के आदेशानुसार,

शैलेन्द्र कियावत, राज्यपाल के उपसचिव.